



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122021-231771
CG-DL-E-10122021-231771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4751]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2021/अग्रहायण 18, 1943

No. 4751]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2021/AGRAHAYANA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5125(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के कि.मी. 261.743 से कि.मी.349.743 (औसिया) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप खण्ड अधिकारी औसिया को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के कि.मी. 261.743 से कि.मी. 349.743 (औसिया) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जोधपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बापिनी					
गांव का नाम: जाटो की ढाणी हडमानसागर					
1	561	निजी	बारानी चतुर्थ	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
गांव का नाम: समराथलपुरा					
1	1348	निजी	बारानी द्वितीय	0.1615000(हेक्टेयर)	0.1615000
2	1400	निजी	बारानी द्वितीय	0.6382000(हेक्टेयर)	0.6382000
3	1544	निजी	बारानी द्वितीय	0.7787000(हेक्टेयर)	0.7787000
गांव का नाम: श्रीकृष्णनगर					
1	1548	निजी	बारानी द्वितीय	0.1249000(हेक्टेयर)	0.1249000
2	1854	निजी	बारानी तृतीय	0.6052000(हेक्टेयर)	0.6052000
3	2007	निजी	बारानी तृतीय	0.0980500(हेक्टेयर)	0.0980500
4	2013	निजी	बारानी तृतीय	0.2038000(हेक्टेयर)	0.2038000
5	2019	निजी	बारानी तृतीय	0.3498000(हेक्टेयर)	0.3498000
6	2024	निजी	बारानी द्वितीय	0.1773000(हेक्टेयर)	0.1773000
7	2038	निजी	बारानी द्वितीय	0.2905000(हेक्टेयर)	0.2905000
8	2041	निजी	बारानी तृतीय	0.1363000(हेक्टेयर)	0.1363000
गांव का नाम: श्रीरामनगर					
1	1856/2	निजी	बारानी तृतीय	0.3144000(हेक्टेयर)	0.3144000
2	1863	निजी	बारानी तृतीय	0.0573000(हेक्टेयर)	0.0573000

3	1864	निजी	बारानी ऐऐऐऐ	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
गांव का नाम: सियोलनगर					
1	1053	निजी	बारानी तृतीय	0.0942000(हेक्टेयर)	0.0942000
तालुक का नाम: ओसियाँ					
गांव का नाम: खबरा कलाँ					
1	99	निजी	बारानी चतुर्थ	0.7688000(हेक्टेयर)	0.7688000
कुल				4.8916	4.8916

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2021

S.O. 5125(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 754K in the stretch of land from Km. 261.743 to Km. 349.743 (Osian) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer Osian in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 754K in the stretch of land from NH 754K (Osian) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: JODHPUR		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bapini					
Village: Jato Ki Dhani Hanumansagar					
1	561	Private	Barani IV	0.0126000(Hectare)	0.0126000

Village: Samarathalpura					
1	1348	Private	Barani II	0.1615000(Hectare)	0.1615000
2	1400	Private	Barani II	0.6382000(Hectare)	0.6382000
3	1544	Private	Barani II	0.7787000(Hectare)	0.7787000
Village: Shrikrishna Nagar					
1	1548	Private	Barani II	0.1249000(Hectare)	0.1249000
2	1854	Private	Barani III	0.6052000(Hectare)	0.6052000
3	2007	Private	Barani III	0.0980500(Hectare)	0.0980500
4	2013	Private	Barani III	0.2038000(Hectare)	0.2038000
5	2019	Private	Barani III	0.3498000(Hectare)	0.3498000
6	2024	Private	Barani II	0.1773000(Hectare)	0.1773000
7	2038	Private	Barani II	0.2905000(Hectare)	0.2905000
8	2041	Private	Barani III	0.1363000(Hectare)	0.1363000
Village: Shrirama Nagar					
1	1856/2	Private	Barani III	0.3144000(Hectare)	0.3144000
2	1863	Private	Barani III	0.0573000(Hectare)	0.0573000
3	1864	Private	Barani III	0.0800000(Hectare)	0.0800000
Village: Siyol Nagar					
1	1053	Private	Barani III	0.0942000(Hectare)	0.0942000
Taluk: Osian					
Village: Khabra Kalan					
1	99	Private	Barani IV	0.7688000(Hectare)	0.7688000
Total				4.8916	4.8916

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3A2]

RAJESH GUPTA, Director